

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकरू जिला जयपुर (प्राचीण)।

मुकदमा संख्या :- 23/2024

भागचन्द बनाम कंगोती

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा निरतृत रूप से	विशेष विवरण
	27.11.2024	<p>पत्रावली आज <del>बहस</del> पेश हुई। बहस वकील वादी की सुनने एवं मौका कमीश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते है कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति नहीं होने तथा वादीमण्य द्वारा अपनी बहनों का हकत्याग नहीं होने व प्रतिवादी पक्ष में नाम दर्ज होने से कुर्रजात रिपोर्ट नहीं बनाने हेतु लिखा गया। अतः मौका कमीश्नर की रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी चाकरू(जयपुर)</p>	